सबसे पहले
लाइफ इंश्योरेंस

केवल ऑनलाइन उपलब्ध

खुशियों को सुरक्षित करें हमेशा के लिए...
एक क्लिक से

एल.आई.सी.की

न्यू टेक-टर्म

PLAN.NO. 954 UIN: 512N351V01

एक नॉन लिंक्ड, असहभागी, व्यक्तिगत पूर्ण जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा योजना

LIC DIRECT
QUICK, SIMPLE AND EASY

एलआईसी मोबाइल एप डाउनलोड करें

www.licindia.in पर हमें विज़िट करें

कॉल सेंटर सर्विसेस (022) 6827 6827

अधिक जानकारी के लिए, अपने बीमा एजेन्ट/
निकटतम एलआईसी शाखा से संपर्क करें/
विज़िट करें **www.licindia.in** या
अपने शहर का नाम **56767474** पर एसएमएस करें

हमें यहाँ फॉलो करें: LIC India Forever

IRDAI Regn No.: 512

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

हर पल आपके साथ

LIC/P1/2022-23/18/HIN/SB

एलआईसी का न्यू टेक-टर्म (UIN: 512N351V01) (एक असंबद्ध, असहभागी, वैयक्तिक, विशुद्ध जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा योजना)

एलआईसी का न्यू टर्म-टेक एक असंबद्ध, असहभागी, वैयक्तिक, विशुद्ध जोखिम प्रीमियम जीवन बीमा योजना है। यह ऑनलाइन योजना पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध करवाती है। **यह योजना केवल ऑनलाइन ही, सीधे वेबसाइट www.licindia.in से उपलब्ध होगी।**

एलआईसी के न्यू टेक-टर्म की प्रमुख विशेषताएँ :

- दो हितलाभ विकल्पों में से चुनने की सुविधा : स्थाई बीमा राशि एवं वृद्धिगत बीमा राशि।
- इनमें से चुनने की सुविधा :
  - एकल प्रीमियम, नियमित प्रीमियम एवं सीमित प्रीमियम भुगतान में से चयन
  - पॉलिसी अवधि/प्रीमियम भुगतान अवधि का चयन
  - किस्तों में हितलाभ के भुगतान का विकल्प
- महिलाओं के लिए विशेष दरें।
- आकर्षक उच्च बीमा राशि छूट का लाभ।
- प्रीमियम दरों की दो श्रेणियाँ - (1) धूम्रपान न करने वाले के लिए दरें एवं (2) धूम्रपान-कर्ता के लिए दरें। धूम्रपान न करने वाले के लिए दरों का लागू होना यूरीनरी कोटिनाइन टेस्ट के परिणामों पर आधारित होगा। अन्य सभी मामलों में धूम्रपान-कर्ता के लिए दरें लागू होंगी।
- राइडर हितलाभ के लिए अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर दुर्घटना हितलाभ राइडर को चुनकर अपनी बीमा-सुरक्षा बढ़ाने का विकल्प।

1. हितलाभ :

एक चालू पॉलिसी के अंतर्गत देय लाभ निम्नानुसार होंगे :

ए. मृत्यु हितलाभ :

जोखिम शुरू होने की तिथि के बाद, लेकिन परिपक्वता की तिथि से पहले, पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो एवं दावा स्वीकार्य हो, देय मृत्यु हितलाभ **''मृत्यु पर बीमा राशि''** होगी।

नियमित प्रीमियम एवं सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी के लिए, **''मृत्यु पर बीमा राशि''** निम्नांकित में से जो भी अधिक है, के रूप में परिभाषित है :

- वार्षिक प्रीमियम का 7 गुना; या
- मृत्यु होने की तिथि तक चुकाई गई कुल प्रीमियमों का 105%; या
- मृत्यु पर भुगतान की जाने वाली समग्र बीमा राशि।

एकल प्रीमियम पॉलिसी के लिए, ''मृत्यु पर बीमा राशि'' निम्नांकित में से जो भी अधिक है, के रूप में परिभाषित है :

- एकल प्रीमियम का 125%; या
- मृत्यु पर भुगतान की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि।

उपर्युक्त सूत्र में,

i. **''वार्षिक प्रीमियम''** पॉलिसीधारक द्वारा चुनी गई एक वर्ष में देय प्रीमियम राशि होगी, जिसमें कर, राइडर प्रीमियम, बीमांकन अतिरिक्त प्रीमियम और मोडल प्रीमियम के लिए लोडिंग, यदि कोई हो, शामिल नहीं हैं, एवं

ii. **''भुगतान की गई कुल प्रीमियम''** का अर्थ है किसी भी अतिरिक्त प्रीमियम, राइडर प्रीमियम और करों को छोड़कर प्राप्त सभी प्रीमियमों का कुल योग।

iii. **मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि** यह पॉलिसी लेने के समय चुने गए मृत्यु हितलाभ विकल्प पर निर्भर होगी जो इस प्रकार है :

- **विकल्प I :** समान बीमा राशि

  मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि, मूल बीमा राशि के बराबर होगी जो पॉलिसी के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।

- **विकल्प II :** बढ़ती हुई बीमा राशि

  मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि, पांचवा पॉलिसी वर्ष पूर्ण होने तक मूल बीमा राशि के बराबर रहेगी। उसके बाद, छठे पॉलिसी वर्ष से पंद्रहवे पॉलिसी वर्ष तक इसमें मूल बीमा राशि के **10%** की दर से तब तक वृद्धि होती रहेगी जब तक यह मूल बीमा राशि के दो गुना न हो जाए। प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत यह वृद्धि पॉलिसी के अंत तक; अथवा मृत्यु के तारीख तक; अथवा पंद्रहवें पॉलिसी वर्ष तक और उसके पश्चात (इनमें से जो भी पहले हो) जारी रहेगी। सोलहवें पॉलिसी वर्ष से, मृत्यु पर अदा की जाने वाली सुनिश्चित बीमा राशि स्थिर अर्थात पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक मूल बीमा राशि के दो गुना रहेगी।

  उदाहरण के लिए, रु. X की मूल बीमा राशि वाली पॉलिसी के अंतर्गत, मृत्यु पर देय सुनिश्चित बीमा राशि पाँचवे पॉलिसी वर्ष के अंत तक रु. X, छठे पॉलिसी वर्ष में रु. 1.1X, सातवें पॉलिसी वर्ष में रु. 1.2X होगी और इसी प्रकार मूल बीमा राशि के 10% प्रति वर्ष की दर से तब तक बढ़ती रहेगी जब तक पंद्रहवे पॉलिसी वर्ष में यह 2X न हो जाए। सोलहवें पॉलिसी वर्ष और उस के पश्चात, मृत्यु पर देय सुनिश्चित बीमा राशि 2X ही होगी।

एक बार चुने जाने के बाद मृत्यु हितलाभ के विकल्प में परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

बी. परिपक्वता हितलाभ :

पॉलिसी अवधि के समाप्त होने तक बीमित व्यक्ति के उत्तरजीवित रहने पर, कोई परिपक्वता लाभ देय नहीं है।

2. पात्रता शर्तें एवं अन्य प्रतिबंध :

ए)	प्रवेश पर न्यूनतम आयु	: 18 वर्ष (गत जन्मदिवस)
बी)	प्रवेश पर अधिकतम आयु	: 65 वर्ष (गत जन्मदिवस)
सी)	परिपक्वता पर अधिकतम आयु	: 80 वर्ष (गत जन्मदिवस)
डी)	न्यूनतम मूल बीमा राशि	: रु. 50,00,000/-
ई)	अधिकतम मूल बीमा राशि	: कोई सीमा नहीं* बीमांकन निर्णय के अनुसार

***प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुमत अधिकतम मूल बीमा राशि, बोर्ड अनुमोदित बीमांकन नीति के अनुसार बीमांकन निर्णय के अधीन होगी।**

मूल बीमा राशि इनके गुणज में होगी:	रु. 5,00,000/- यदि पॉलिसी के लिए मूल बीमा राशि रु. 50,00,000/- से रु. 75,00,000/- है। रु. 25,00,000/-, यदि पॉलिसी के लिए मूल बीमा राशि रु. 75,00,000/- से अधिक है।
एफ) पॉलिसी अवधि	: 10 से 40 वर्ष
जी) प्रीमियम भुगतान अवधि :	
नियमित प्रीमियम	: पॉलिसी अवधि के समान
सीमित प्रीमियम	: पॉलिसी अवधि (10 से 40) वर्ष के लिए (पॉलिसी अवधि में से 5 वर्ष के कम) वर्ष : पॉलिसी अवधि (15 से 40) वर्ष के लिए (पॉलिसी अवधि में से 10 वर्ष कम) वर्ष : लागू नहीं

3. उपलब्ध विकल्प :

I. वैकल्पिक राइडर :

पॉलिसी धारक के पास प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके नियमित प्रीमियम एवं सीमित प्रीमियम भुगतान विधि के अंतर्गत एलआईसी का दुर्घटना राइडर हितलाभ

(UIN: 512B203V03) लेने का विकल्प होता है, बशर्ते बकाया प्रीमियम भुगतान अवधि कम से कम पाँच वर्ष हो। इस राइडर के अंतर्गत बीमा-रक्षित लाभ केवल प्रीमियम भुगतान अवधि के दौरान, या उस पॉलिसी वर्षगाँठ, जिस पर बीमित व्यक्ति की निकटतम जन्मतिथि 70 वर्ष है, जो भी पहले हो, तक ही उपलब्ध होंगे। यदि यह हितलाभ चुना जाता है तो दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में, मूल योजना के अंतर्गत मृत्यु हितलाभ के साथ दुर्घटना हितलाभ राइडर बीमा राशि एकमुश्त राशि के रूप में देय होगी।)

इस राइडर के अंतर्गत प्रीमियम, मूल योजना के अंतर्गत प्रीमियम के 100% से अधिक नहीं होगी। दुर्घटना लाभ बीमा राशि इस पॉलिसी के अंतर्गत मूल बीमा राशि से अधिक नहीं होगी।

इस राइडर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर राइडर विवरणिका देखें।

II. मृत्यु हितलाभ किस्तों में लेने का विकल्प :

यह विकल्प प्रभावी पॉलिसी के अंतर्गत, मृत्यु हितलाभों को एकमुश्त लेने की बजाय 5 वर्ष की चुनी गई अवधि में किश्तों में लेने का विकल्प है। पॉलिसी के अंतर्गत देय पूर्ण या आंशिक मृत्यु हितलाभों के लिए केवल बीमित व्यक्ति द्वारा ही अपने जीवनकाल में इस विकल्प का चयन किया जा सकता है। बीमित व्यक्ति द्वारा चुनी गई राशि (अर्थात् निवल दावा राशि) या तो सुनिश्चित मूल्य के रूप में हो सकती है अथवा कुल देय दावा प्राप्तियों के कुछ प्रतिशत के रूप में।

किए गए चयन के अनुसार, किश्तों का अग्रिम भुगतान वार्षिक या अर्ध-वार्षिक या त्रैमासिक या मासिक अंतराल पर किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किश्त की न्यूनतम राशि निम्न प्रकार होगी:

किस्त भुगतान की विधि	न्यूनतम किस्त राशि
मासिक	रु. 5,000/-
त्रैमासिक/तिमाही	रु. 15,000/-
अर्ध-वार्षिक	रु. 25,000/-
वार्षिक	रु. 50,000/-

यदि बीमित व्यक्ति द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार वांछित राशि, न्यूनतम किश्त की राशि से कम है तो दावे की प्राप्तियों का भुगतान एकमुश्त ही किया जाएगा।

1 मई से 30 अप्रैल तक 12 महीने की अवधि के दौरान शुरू होने वाले सभी किश्त भुगतान विकल्पों के लिए, प्रत्येक किश्त की राशि पर पहुंचने के लिए उपयोग की जाने वाली ब्याज दर वार्षिक प्रभावी दर होगी, जो 5 वर्ष अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर में से 2% कम करने के बाद प्राप्त दर से कम नहीं होगी; जहाँ, 5 वर्ष अर्ध-वार्षिक जी-सेक दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिन के अनुसार होगी।

तदनुसार, 1 मई, 2022 से शुरू होकर 30 अप्रैल, 2023 तक की 12 महीने की अवधि के लिए, किश्त राशि की गणना के लिए लागू ब्याज दर 4.84% प्रति वर्ष प्रभावी होगी।

किस्तों में हितलाभ प्राप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने हेतु, बीमित व्यक्ति द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान इस विकल्प का प्रयोग, पॉलिसी के प्रभावी रहते हुए, उस शुद्ध दावा राशि को निर्दिष्ट करते हुए किया जा सकता है, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया जाना है। इसके बाद बीमित व्यक्ति द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार नामांकित व्यक्ति को मृत्यु दावा राशि का भुगतान किया जाएगा और इसमें नामांकित व्यक्ति को किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

4. प्रीमियमों का भुगतान :

इस योजना के अंतर्गत नियमित प्रीमियम, सीमित प्रीमियम या एकल प्रीमियम भुगतान विकल्प उपलब्ध हैं। नियमित एवं सीमित प्रीमियम भुगतान के मामले में, प्रीमियम का भुगतान नियमित रूप से पॉलिसी भुगतान अवधि के दौरान प्रीमियम भुगतान के वार्षिक या अर्ध-वार्षिक रूपों से किया जा सकता है।

देय राशि बीमित होने वाले व्यक्ति की प्रवेश पर आयु, धूम्रपान की स्थिति, लिंग, पॉलिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान अवधि एवं चयनित बीमा राशि विकल्प पर निर्भर होगी। एकल प्रीमियम के अंतर्गत न्यूनतम प्रीमियम रु. 30,000/- होगी। नियमित एवं सीमित प्रीमियम विधि के अंतर्गत, न्यूनतम प्रीमियम रु. 3,000/- होगी।

5. अनुग्रह अवधि (नियमित एवं सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू) :

वार्षिक या अर्ध-वार्षिक प्रीमियमों के भुगतान के लिए भुगतान न हुई प्रथम प्रीमियम की तिथि से 30 दिनों तक की एक अनुग्रह अवधि होगी। इस अवधि के दौरान पॉलिसी को पॉलिसी की शर्तों के अनुसार बिना किसी रुकावट के जोखिम बीमा सुरक्षा के साथ प्रभावी माना जाएगा।

यदि अनुग्रह अवधि के दिन पूरे होने से पहले प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी।

उपर्युक्त छूट अवधि उन राइडर प्रीमियमों पर भी लागू होगी, जो मूल बीमा पॉलिसी प्रीमियम के साथ ही देय होते हैं।

ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत भुगतान न हुई प्रथम प्रीमियम की तिथि से अनुग्रह अवधि के समाप्त होने के बाद सभी लाभ स्थगित हो जाएँगे और कुछ भी देय नहीं होगा।

6. नमूने के लिए उदाहरणार्थ प्रीमियम :

विभिन्न प्रीमियम भुगतान विकल्पों के अंतर्गत धूम्रपान न करने वाले, पुरुष, मानक जीवन के लिए रु. 1 करोड़ की मूल बीमा राशि हेतु विकल्प I (समान बीमा राशि) एवं विकल्प II (वृद्धिगत बीमा राशि), दोनों के लिए नमूने की उदाहरणार्थ प्रीमियमें निम्नानुसार हैं :

विकल्प I (समान बीमा राशि):

आयु (गत जन्मदिन)	पॉलिसी अवधि	नियमित वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	(पॉलिसी अवधि में से 5 कम) वर्षों की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	(पॉलिसी अवधि में से 10 कम) वर्षों की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	एकल प्रीमियम (रु. में)
20	20	7,047	8,091	10,266	75,603
30	20	9,135	10,527	13,572	1,00,833
40	20	17,889	20,737	26,878	2,03,187

उपरोक्त प्रीमियमों में कर शामिल नहीं हैं।

विकल्प II (वृद्धिगत बीमा राशि) :

आयु (गत जन्मदिन)	पॉलिसी अवधि	नियमित वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	(पॉलिसी अवधि में से 5 घटाकर) वर्षों की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	(पॉलिसी अवधि में से 10 घटाकर) वर्षों की सीमित प्रीमियम भुगतान अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम (रु. में)	एकल प्रीमियम (रु. में)
20	20	9,345	10,769	13,795	1,02,617
30	20	13,083	15,219	19,669	1,47,562
40	20	27,846	32,396	42,224	3,20,684

उपरोक्त प्रीमियमों में कर शामिल नहीं हैं।

7. छूट/भार :

निम्नांकित छूटें/भार लागू होंगे :

(i) उच्च बीमा राशि छूट (नियमित, सीमित एवं एकल प्रीमियम भुगतान के लिए लागू) :

उच्च बीमा राशि छूटें निम्नानुसार हैं :

क) विकल्प I के अंतर्गत : स्थाई बीमा राशि

आयु बंधन (एलबीडी)	उच्च बीमा राशि छूट, सारणीबद्ध वार्षिक/एकल प्रीमियम के एक % के रूप में		
	रु. 1 करोड़ से कम	रु. 1 करोड़ से लेकर रु. 2 करोड़ से कम	रु. 2 करोड़ और उससे अधिक

30 वर्ष तक	शून्य	13%	22%
31 से 50 वर्ष	शून्य	11%	17%
51 वर्ष और उससे अधिक	शून्य	6%	9%

ख) विकल्प II के अंतर्गत : वृद्धिगत बीमा राशि

आयु बंधन (एलबीडी)	उच्च बीमा राशि छूट, सारणीबद्ध वार्षिक/एकल प्रीमियम के एक % के रूप में		
	रु. 1 करोड़ से कम	रु. 1 करोड़ से लेकर रु. 2 करोड़ से कम	रु. 2 करोड़ और उससे अधिक
30 वर्ष तक	शून्य	11%	20%
31 से 50 वर्ष	शून्य	9%	15%
51 वर्ष और उससे अधिक	शून्य	5%	8 %

(ii) मोडल भार (नियमित एवं सीमित प्रीमियम भुगतान के लिए लागू) :

विधि	**भार, सारणीबद्ध वार्षिक प्रीमियम के एक % के रूप में**
वार्षिक	शून्य
अर्ध -वार्षिक	2%

8. पुनर्चलन:

यदि अनुग्रह अवधि के भीतर प्रीमियमों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो पॉलिसी कालातीत हो जाएगी। एक कालातीत पॉलिसी को भुगतान नहीं की गई पहली प्रीमियम की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के भीतर पुनर्चलन करवाया जा सकता है। समय-समय पर निगम द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर पर ब्याज (अर्ध-वार्षिक चक्रवृद्धि) सहित प्रीमियम के सभी बकाया के भुगतान पर एवं जानकारियों, दस्तावेजों और रिपोर्टों, जो पहले से उपलब्ध हैं और इस संबंध में कोई अतिरिक्त जानकारियों, यदि और जैसे भी पुनर्चलन के समय पर निगम की बीमांकन नीति के अनुरूप आवश्यक हो सकती हैं, जो कि पॉलिसीधारक/बीमित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जाती है, के आधार पर बीमित व्यक्ति की निरंतर बीमा योग्यता की संतुष्टि पर पुनर्चलन प्रभावी होगा।

निगम द्वारा किसी बंद पॉलिसी के पुनर्चलन को मूल शर्तों पर स्वीकार करने, संशोधित शर्तों के साथ स्वीकार करने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है। बंद हो चुकी पॉलिसी का पुनर्चलन तभी प्रभावी होगा, जब निगम द्वारा उसे अनुमोदित एवं स्वीकृत कर लिया जाता है और पुनर्चलन की रसीद जारी कर दी जाती है।

इस उत्पाद के अंतर्गत 1 मई से 30 अप्रैल तक प्रत्येक 12 महीने की अवधि के लिए पुन: प्रचलन के लिए लागू ब्याज की दर पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम व्यवसायिक दिन के अनुसार 10 वर्ष जी-सेक दर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि अर्ध-वार्षिक एवं 3% के योग या निगम के असंबद्ध, असहभागी फंड पर अर्जित लाभ एवं 1% के योग में से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं होगी। 1 मई, 2022 से 30 अप्रैल, 2023 तक की 12 महीने की अवधि के लिए लागू ब्याज दर 9.50% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि होगी। पॉलिसी के पुनर्चलन के लिए ब्याज दर के निर्धारण का आधार परिवर्तन के अधीन है।

यदि किसी कालातीत पॉलिसी को पुनर्चलन अवधि के भीतर, पर परिपक्वता की तिथि से पहले पुनर्चलित नहीं करवाया जाता है, तो पॉलिसी स्वत: समाप्त हो जाएगी। नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के मामले में, कुछ भी देय नहीं होगा। हालांकि सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसियों के मामले में, अभ्यर्पण की स्थिति में देय अनुसार राशि लौटाई जाएगी और पॉलिसी समाप्त हो जाएगी।

राइडर का पुनर्चलन, यदि इसे चुना जाता है, मूल पॉलिसी के पुनर्चलन के साथ ही माना जाएगा, अलग से नहीं।

9. अभ्यर्पण मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत कोई अभ्यर्पण मूल्य उपलब्ध नहीं होगा. हालाँकि निम्नांकित मामलों में पॉलिसी का अभ्यर्पण होने पर (स्थाई बीमा राशि (विकल्प I) और साथ ही साथ वृद्धिगत बीमा राशि (विकल्प II) दोनों विकल्पों के लिए), एक राशि निम्नानुसार लौटाई जाएगी :

ए) नियमित प्रीमियम पॉलिसियाँ : कुछ भी नहीं लौटाया जाएगा।

बी) एकल प्रीमियम पॉलिसियाँ : पॉलिसी अवधि के दौरान किसी भी समय लागू धन-वापसी (रिफंड) देय होगी।

सी) सीमित प्रीमियम भुगतान : लागू धन-वापसी (रिफंड) केवल तभी देय होगी, जब कम से कम निम्नांकित के लिए पूर्ण प्रीमियमों का भुगतान किया गया हो :

i) प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष से कम होने की स्थिति में दो क्रमागत वर्ष।

ii) प्रीमियम भुगतान अवधि 10 वर्ष या उससे अधिक होने की स्थिति में तीन क्रमागत वर्ष।

कोई पॉलिसी कालातीत होने की स्थिति में, पॉलिसीधारक द्वारा अनुरोध किए जाने पर केवल पुनर्चलन अवधि के दौरान ही धन-वापसी देय होगी। हालांकि, पुनर्चलन अवधि समाप्त होने पर पॉलिसी समाप्त हो जाएगी और पॉलिसीधारक को धन-वापसी (रिफंड) कर दी जाएगी।

10. पॉलिसी ऋण :

इस योजना के अंतर्गत कोई ऋण उपलब्ध नहीं होगा।

11. कर :

भारत सरकार या किसी अन्य संवैधानिक भारतीय कर प्राधिकरण द्वारा ऐसी बीमा योजनाओं पर लागू वैधानिक कर, यदि कोई हो, कर कानूनों और समय-समय पर लागू कर की दर के अनुसार होगी।

प्रीमियमों पर पॉलिसीधारक द्वारा प्रचलित दरों के अनुसार लागू करों की राशि (मूल पॉलिसी और राइडरों के लिए, यदि कोई हो) अतिरिक्त प्रीमियम सहित, यदि कोई हो, देय होगी, जिसे पॉलिसीधारक द्वारा देय प्रीमियम के अतिरिक्त अलग से वसूल किया जाएगा। भुगतान किए गए कर की राशि को योजना के अंतर्गत देय किसी भी लाभ की गणना के लिए नहीं माना जाएगा।

आयकर लाभों/भुगतान की गई प्रीमियम(मों) पर निहितार्थों एवं इस योजना के अंतर्गत देय लाभों के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए कृपया अपने कर सलाहकार से परामर्श करें।

12. निशुल्क अवलोकन अवधि (फ्री लूक पीरियड):

यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी के ''नियमों और शर्तों'' से संतुष्ट नहीं है, तो पॉलिसी दस्तावेज़ के इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक विधि से प्राप्त होने, जो भी पहले हो, की तिथि से 30 दिनों के भीतर, आपत्तियों के कारण बताते हुए निगम को पॉलिसी वापस की जा सकती है। इसकी प्राप्ति पर, निगम द्वारा पॉलिसी निरस्त कर दी जाएगी और बीमा सुरक्षा की अवधि के लिए आनुपातिक जोखिम प्रीमियम (मूल योजना और हितलाभ, यदि कोई हो, के लिए), चिकित्सीय परीक्षण, विशेष रिपोर्टों, यदि कोई हों, पर हुए व्ययों और स्टाम्प शुल्क प्रभारों की कटौती करने के बाद जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस लौटा दी जाएगी।

13. आत्महत्या अपवर्जन :

(i) एकल प्रीमियम पॉलिसी के अंतर्गत :

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह समझदार हो या विक्षिप्त) द्वारा जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या की जाती है, तो बीमित व्यक्ति के नामित या लाभार्थी को भुगतान की गई एकल प्रीमियम के 90% को पाने की पात्रता होगी।

(ii) नियमित/सीमित प्रीमियम भुगतान पॉलिसी :

यदि बीमित व्यक्ति (चाहे वह समझदार हो या विक्षिप्त) द्वारा जोखिम शुरू होने की तिथि से 12 महीने के भीतर, बशर्ते पॉलिसी चालू हो, या पुनर्चलन की तिथि से 12 महीने के भीतर किसी भी समय आत्महत्या की जाती है, तो मृत्यु होने की तिथि तक भुगतान की गई प्रीमियमों का 80% देय होगा। बीमित व्यक्ति के नामित या लाभार्थी को इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई अन्य दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

यह अनुच्छेद कालातीत होने वाली पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसी पॉलिसियों के अंतर्गत कुछ भी देय नहीं है।

टिप्पणी : उपरोक्त एकल प्रीमियम/प्रीमियम में कोई कर, अतिरिक्त प्रीमियम एवं राइडर प्रीमियम, यदि कोई हो, शामिल नहीं होंगे।

14. एलआईसी के न्यू टेक-टर्म को कैसे खरीदें :

एलआईसी के न्यू टेक-टर्म को ऑनलाइन खरीदने हेतु चरण-दर-चरण प्रक्रिया :

1) इस ऑनलाइन उत्पाद को खरीदने के लिए हमारी वेबसाइट (www.licindia.in) पर लॉग-ऑन करें। 'ऑनलाइन पॉलिसी खरीदें' पर क्लिक करें। एलआईसी की न्यू टेक-टर्म योजना चुनें।

2) 'ऑनलाइन खरीदें' पर क्लिक करें. अपनी इच्छित बीमा राशि का विकल्प (स्थाई/वृद्धिगत), पॉलिसी अवधि, प्रीमियम भुगतान विकल्प (नियमित/सीमित/एकल) तथा नियमित एवं सीमित प्रीमियम भुगतान विकल्प के लिए प्रीमियम भुगतान विकल्प (वार्षिक/अर्ध-वार्षिक), जन्मतिथि, लिंग एवं धूम्रपान की स्थिति को चुनें।

3) उक्त सभी विवरण प्रदान करने के पश्चात, एक प्रीमियम कैल्कुलेटर द्वारा चयनित मानदंडों के लिए प्रीमियम की गणना की जाएगी।

4) स्क्रीन पर प्रदर्शित अन्य विवरण, जैसे नाम, पता, व्यवसाय, शैक्षणिक योग्यता आदि प्रविष्ट करें और प्रस्ताव प्रपत्र को ऑनलाइन पूर्ण करें।

5) प्रीमियम का ऑनलाइन भुगतान करें और बीमांकन आवश्यकताएँ, यदि कोई हों, पूर्ण करें।

बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 45:

बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 45 के प्रावधान समय समय पर यथा संशोधित अनुसार होंगे। इस प्रावधान का सरलीकृत संस्करण निम्नानुसार है :

बीमा अधिनियम, 1938 के धारा 45 के अनुसार पॉलिसी पर सवाल न उठाए जाने के संबंध में प्रावधान निम्नानुसार हैं :

1. निम्नांकित से 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद जीवन बीमा की किसी भी पॉलिसी पर किसी भी विषय में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा :

   ए. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या

   बी. जोखिम शुरू होने की तिथि, या

   सी. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, या

   डी. पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि,

   जो भी बाद में हो।

2. धोखाधड़ी के आधार पर, जीवन बीमा की किसी पॉलिसी पर निम्नांकित से 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है :

   ए. पॉलिसी के जारी होने की तिथि, या

   बी. जोखिम शुरू होने की तिथि, या

   सी. पॉलिसी के पुनर्चलन की तिथि, या

   डी. पॉलिसी के लिए राइडर की तिथि

   जो भी बाद में हो।

   इसके लिए, बीमाकर्ता को उस आधार एवं सामग्रियों का उल्लेख करते हुए, जिन पर ऐसा निर्णय आधारित होता है, बीमित को या बीमित के वैधानिक प्रतिनिधि या नामिती या समनुदेशिती, जैसा भी लागू हो, को लिखित में सूचना देनी चाहिए।

3. धोखाधड़ी का आशय निम्नांकित में से कोई भी कृत्य, जो बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता द्वारा, बीमाकर्ता को धोखा देने, या बीमाकर्ता को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी करने हेतु उकसाने की मंशा से किया जाता है :

   ए. सुझाव, उस बारे में एक तथ्य के रूप में, जो सत्य नहीं है और जिसे बीमित व्यक्ति सत्य नहीं मानता है;

   बी. उस बीमित व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का सक्रिय रूप से छुपाया जाना, जिसे उस तथ्य का ज्ञान हो या उसमें विश्वास हो;

   सी. धोखा देने के लिए किया गया कोई अन्य कृत्य; एवं

   डी. ऐसा कोई कृत्य या चूक जो कानून द्वारा विशिष्ट रूप से धोखाधड़ी के रूप में घोषित हो।

4. केवल मौन रहना तब तक धोखाधड़ी नहीं है, जब तक मामले की परिस्थितियों के आधार पर, मौन रहने से बोलना बीमित व्यक्ति या उसके अभिकर्ता का कर्त्तव्य है या मौन रहना अपने आपमें बोलने के समकक्ष हो।

5. किसी भी बीमाकर्ता द्वारा किसी जीवन बीमा पॉलिसी का परित्याग धोखाधड़ी के आधार पर नहीं किया जाएगा, यदि बीमित व्यक्ति/लाभार्थी यह प्रमाणित कर सके कि गलत-बयानी उसकी सर्वोत्तम जानकारी में सत्य थी और उस तथ्य को दबाकर रखने की कोई जान-बूझकर मंशा नहीं थी या उस महत्वपूर्ण तथ्य की ऐसी गलत-बयानी या उसे दबाकर रखना बीमाकर्ता की जानकारी में था। खंडन करने का कार्यभार जीवित होने पर पॉलिसीधारक का, या फिर लाभार्थी का है।

6. जीवन बीमा पॉलिसी पर इस आधार पर 3 वर्ष के भीतर सवाल उठाया जा सकता है, कि बीमित व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को दबाना या उसकी गलत-बयानी उस प्रस्ताव में या अन्य दस्तावेज में गलत रूप से की गई थी, जिसके आधार पर पॉलिसी जारी की गई थी या पुनर्चलित की गई थी या हितलाभ जारी किया गया था। इसके लिए, बीमाकर्ता द्वारा बीमित व्यक्ति को या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को, जैसा लागू हो, लिखित में सूचना दी जानी चाहिए, जिसमें उस आधार या सामग्रियों का उल्लेख हो, जिनके आधार पर जीवन बीमा की पॉलिसी का निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

7. यदि परित्याग गलत-बयानी के आधार पर किया जाए और धोखाधड़ी के आधार पर नहीं, तो ऐसी स्थिति में, परित्याग की तिथि तक पॉलिसी पर संग्रहित प्रीमियम का भुगतान बीमित व्यक्ति या बीमित व्यक्ति के वैधानिक प्रतिनिधि या नामित या समनुदेशिती को परित्याग की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

8. तथ्य को तब तक महत्वपूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक वह बीमाकर्ता द्वारा लिए गए जोखिम पर प्रत्यक्ष भार न डालता हो। यह दर्शाने का कर्त्तव्य बीमाकर्ता का है, कि यदि बीमाकर्ता को उक्त तथ्य की जानकारी होती, तो बीमित व्यक्ति को कोई जीवन बीमा पॉलिसी जारी नहीं की जाती।

9. बीमाकर्ता द्वारा किसी भी समय आयु का प्रमाण माँगा जा सकता है, यदि वह ऐसा करने का पात्र है और किसी भी पॉलिसी पर केवल इसलिए सवाल उठाया जाना नहीं समझा जाएगा, क्योंकि पॉलिसी की शर्तें जीवन बीमित व्यक्ति की आयु के परवर्ती प्रमाण पर समायोजित हैं। इसलिए, यह धारा आयु पर सवाल उठाए जाने या परवर्ती रूप से जमा करवाए गए आयु के प्रमाण पर आधारित समायोजन किए जाने के लिए लागू नहीं होगा।

[अस्वीकरण: यह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 की व्यापक सूची नहीं है, और यह सामान्य जानकारी के लिए तैयार किया गया एक सरलीकृत संस्करण है। पॉलिसीधारकों को सलाह दी जाती है कि वे संपूर्ण एवं सटीक जानकारियों के लिए बीमा अधिनियम, 1938 का धारा 45 देखें।]

छूटों की निषिद्धता (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41) :

1) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रलोभन के तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन या संपत्ती से संबंधित किसी भी प्रकार के जोखिम के बारे में कोई बीमा लेने या उसका नवीनीकरण करवाने या उसे जारी रखने, देय कमीशन में से संपूर्ण या आंशिक रूप में कोई छूट देने या पॉलिसी पर दर्शाई गई प्रीमियम में से कोई भी छूट देने की अनुमति नहीं होगी या अनुमति प्रस्तावित नहीं होगी और न ही कोई व्यक्ति तब तक किसी तरह की छूट स्वीकार करके कोई पॉलिसी लेगा या उसका नवीनीकरण करवाएगा या उसे जारी रखेगा, जब तक कि ऐसी छूट बीमाकर्ता की तालिका या प्रकाशित विवरणिका के अनुसार मान्य न हो।

2) इस धारा के प्रावधानों का अनुपालन करने से चूक करने वाला व्यक्ति अर्थदंड का भागी होगा, जो दस लाख रुपए तक हो सकता है।

एलआईसी पर लागू होने वाले, बीमा अधिनियम, 1938 की विभिन्न धाराएं, समय-समय पर यथा संशोधित।

यह उत्पाद विवरणिका इस योजना की केवल प्रमुख विशेषताएँ ही बताती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.licindia.in पर पॉलिसी दस्तावेज देखें या हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें।

पॉलिसी ऑनलाइन खरीदने के लिए, कृपया www.licindia.in पर लॉग ऑन करें।

कपटपूर्ण फोन कॉल और नकली/धोखाधड़ीपूर्ण प्रस्तावों से सावधान रहें।

आईआरडीएआई बीमा पॉलिसियाँ बेचने, बोनस घोषित करने या प्रीमियमों का निवेश करने जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं है। ऐसे फोन कॉल प्राप्त करने वाले लोगों से अनुरोध है कि वे इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाएँ।

पंजीकृत कार्यालय :
भारतीय जीवन बीमा निगम,
केन्द्रीय कार्यालय,
योगक्षेम, जीवन बीमा मार्ग, मुंबई - 400021
वेबसाइट : www.licindia.in
पंजीकरण संख्या : 512